न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–12 / 2025

GCMS NO:- 2025/161

दायर दिनांक: 26.06.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

भैरूलाल आ0 बरधा जाति मीना नि0 धानुगांव तहसील नैनवाँ।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 29.07.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम धानुगांव मे खसरा नम्बर 10 रकबा 0.7443 हैक्टयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.4045 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 15 रकबा 0.1052 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों की सीमाओं की तारबंदी कराने के मामले को लेकर पडौसी खातेदारान आये दिन विवाद करते रहते है इसलिए प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवा कर फसल की सुरक्षा हेतु तारबंदी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमियां जो कि प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है, की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। चुंकि उक्त प्रार्थना पत्र एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमियां प्रार्थी के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रार्थना पत्र मे उक्त भूमियों पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त होना बताया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवाँ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम धानुगांव मे खसरा नम्बर 10 रकबा 0.7443 हैक्टयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.4045 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 15 रकबा 0.1052 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थी का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ